प्रेषक,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– C-300 /निदे0म0क0/निरा0म0पें0/2009–10

लखनऊ : दिनांक : 13 अगस्त, 2009

विषय–पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना की स्वीकृति / संचालन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

कतिपय जनपदों यथा– सहारनपुर, आजमगढ़ तथा लखनऊ में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि अपात्र महिलाओं को उक्त पेंशन स्वीकृत की गयी है। उपरोक्त जनपदों में यह भी पाया गया है कि उन महिलाओं को भी पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है, जिनके पति अभी जीवित हैं। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक एवं आपत्तिजनक है। उपरोक्त सन्दर्भित मामलों में छानबीन कराने पर यह पाया गया है कि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन स्वीकृति में प्रकिया का पालन नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन–पत्र ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत के माध्यम से न प्राप्त करके सीधे कार्यालय में प्राप्त कर लिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप अपात्र महिलाओं को उपरोक्त पेंशन स्वीकृत हो गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन स्वीकृत करते समय निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें –

(अ) ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के चयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश –

1. आवेदिका का फोटोग्राफ ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित हो तथा ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी की आख्या पर संस्तुति अंकित हो।
2. ग्राम सभा से आवेदिका को अनुदान / पेंशन का पारित प्रस्ताव आवेदन–पत्र के साथ संलग्न हो।
3. ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर टिप्पणी अंकित कर संस्तुति करेंगे :–

(अ) आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
(ब) आवेदिका के वयस्क पुत्रों/प्रपौत्रों के संबंध में स्पष्ट विवरण तथा उनके द्वारा आवेदिका का भरण पोषण किया जा रहा है अथवा नहीं?
(स) आवेदिका की वार्षिक आय रू0 19884/– की सीमा से कम है अथवा अधिक? तथा चल / अचल सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण।
(द) आवेदित करते समय आवेदिका का वास्तविक आयु।

ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या के साथ पात्रता के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति अंकित होनी चाहिए, तत्पश्चात् खण्ड विकास अधिकारी के अग्रसारण के उपरान्त विकास खण्ड कार्यालय के माध्यम से आवेदन–पत्र प्रोबेशन कार्यालय में हस्तगत कराया जायेगा।

(ब) शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के चयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश –

1. शहरी क्षेत्र में आवेदिका की फोटो स्थानीय सभासद/मा0 विधायक/मा0 सांसद/राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो तथा आवेदिका के पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला को अनुदान / पेंशन का लाभ दिए जाने की स्पष्ट संस्तुति का अंकन हो।
2. तहसील की आख्या / संस्तुति हेतु आवेदन–पत्र क्षेत्रीय सभासद अथवा स्वयं आवेदिका द्वारा सीधे तहसील में जमा किया जायेगा।
3. क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट टिप्पणी का अंकन करते हुए अनुदान हेतु पात्रता की संस्तुति करेगा।

(अ) आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी है।

(ब) आवेदिका के वयस्क पुत्रों/प्रपौत्रों के संबंध में स्पष्ट विवरण तथा उनके द्वारा आवेदिका का भरण पोषण किया जा रहा है अथवा नहीं? के सम्बन्ध में आख्या।

(स) आवेदिका की वार्षिक आय रू0 25546/– की सीमा से कम है अथवा अधिक? तथा आवेदिका की चल / अचल सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण।

(द) आवेदिका का वर्तमान आयु का स्पष्ट उल्लेख।

आवेदन–पत्र पर लेखपाल की आख्या के आधार पर तहसीलदार द्वारा अनुदान/पेंशन हेतु पात्रता पर स्पष्ट संस्तुति का अंकन कर आवेदन–पत्र कार्यालय के माध्यम से प्रोबेशन कार्यालय में हस्तगत करवायेंगे।

(स) जिला प्रोबेशन कार्यालय द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकिया –

1. कोई भी आवेदन–पत्र आवेदिका अथवा किसी अन्य से भी सीधे स्वीकार किए जायेंगे, परन्तु उक्त को पुनः परीक्षण हेतु विकास खण्ड/तहसील प्रेषित किया जायेगा।
2. समस्त आवेदन–पत्र विकास खण्ड/तहसील के माध्यम से ही प्राप्त किए जायेंगे।
3. पटल सहायक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी समस्त आवेदन–पत्रों पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी टिप्पणी का अंकन कर हस्ताक्षरित करेंगे–
   1. तहसील / विकास खण्ड से सीधे आवेदन–पत्र प्राप्त – हॉ / नहीं
   2. तहसीलदार/ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी की आख्या का अंकन – हॉ / नहीं
   3. आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी है – हॉ / नहीं
   4. आवेदिका की फोटो प्रमाणित है – हॉ / नहीं
   5. आवेदिका की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है – हॉ / नहीं
   6. आवेदिका को अनुदान / पेंशन हेतु पात्रता की संस्तुति का अंकन है – हॉ / नहीं
   7. आवेदिका उपलब्ध आख्या के अनुसार पेंशन योग्य है – हॉ / नहीं

यदि उपरोक्त सावधानियों के बावजूद भी अपात्र महिलाओं को पेंशन स्वीकृत हो जाती है तो नियमानुसार उनसे पेंशन की वसूली की कार्यवाही की जाये और वसूल की गयी धनराशि को राजकोष में वापस जमा करायी जाये। समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी गम्भीर प्रकरणों में दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं लाभार्थियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायें, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी प्रत्येक माह अपने जनपद में जिलाधिकारी के मार्ग–निर्देशन में रेण्डम तरीके से 05 ग्रामों का चयन करें और इन ग्रामों के समस्त पति

की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशनर्स का शत–प्रतिशत सत्यापन करें और सत्यापन आख्या की एक प्रति मण्डलीय उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी एवं निदेशालय को उपलब्ध करायें। समस्त जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने जनपद में 05 ग्रामों का रेण्डम चयन कर सूची जिला परिवीक्षा अधिकारियों को सत्यापन हेतु उपलब्ध करा दें। यदि किसी ग्राम विशेष में उपरोक्त पेंशन के सम्बन्ध में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हो रही हो तो उन्हें सत्यापन की सूची में अवश्य चयनित कर लिया जाये। समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशनर्स की सूची सम्बन्धित ग्राम प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी, परगना अधिकारियों को अवश्य उपलब्ध करायें, जिससे सत्यापन में अपात्र पेंशनर्स का नाम हटाया जा सके।

समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में अपात्र महिलाओं को पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन न स्वीकृत की जाये। विशेष रूप से किसी भी दशा में ऐसी महिला को उपरोक्त पेंशन न स्वीकृत हो, जिसके पति जीवित हों।

भवदीय,

(बिहारी स्वरूप)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(बिहारी स्वरूप)
निदेशक।
13.8.09.